By Email

पत्रांक–8/वि० MDMC-25/2008 (अंश 'ख')....1786......../

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक:

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार।

पटना, दिनांक 29/06/13

विषय: वित्तीय वर्ष 2013–14 में मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत विभिन्न मदों में दो माह हेतु केन्द्रांश तथा राज्यांश के उपावंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत विभिन्न मदों में केन्द्रांश एवं राज्यांश की निर्धारित राशि निम्नवत है :–

1. (i) 1 अप्रैल 2013 से जून 2013 तक वर्ग I-V के बच्चों के लिए परिवर्तन मूल्य की पुरानी दर 3.14 रू० प्रतिछात्र प्रतिदिन तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए 4.65 रू० प्रतिछात्र प्रतिदिन निर्धारित है, जिसमें भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में वर्ग I-V के बच्चों के लिए 2.33 रू० तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए 3.49 रू० प्रतिछात्र प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी वर्ग I–V तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए क्रमशः 0.81 रु० तथा 1.16 रू० प्रतिछात्र प्रतिदिन की दर से राज्यांश के रूप में निर्धारित है।

   (iii) 1 जुलाई 2013 से वर्ग I-V के बच्चों के लिए परिवर्तन मूल्य की नयी दर 3.37 रू० प्रतिछात्र प्रतिदिन तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए 5.00 रू० प्रतिछात्र प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में वर्ग I-V के बच्चों के लिए 2.50 रू० तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए 3.75 रू० प्रतिछात्र प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी वर्ग I–V तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए क्रमशः 0.87 रु० तथा 1.25 रू० प्रतिछात्र प्रतिदिन की दर से राज्यांश के रूप में निर्धारित है।

   (iv) प्रति रसोईया–सह–सहायक प्रतिमाह 1000/–रू० की दर से वर्ष के 10 माह के लिये मानदेय मानदेय का भुगतान किया जाना निर्धारित है। रसोइया–सह–सहायक के मानदेय मद में होने वाले व्यय का वहन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में किया जाता है।

   (v) इसके अलावे वर्ग I-V के बच्चों के लिये 100 ग्राम खाद्यान्न तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिये 150 ग्राम खाद्यान्न निर्धारित है।

   (vi) खाद्यान्न के लिए निर्धारित राशि 5650 + 5 प्रतिशत वैट/एम.टी की दर पर निर्धारित है।

   (vii) इस राशि से वर्ग I–V के बच्चों को भोजन में प्रतिदिन 450 कैलारी एवं 12 ग्राम प्रोटीन प्रति बच्चा प्रतिदिन तथा वर्ग VI–VIII के बच्चों को भोजन में 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए प्रतिदिन के लिये मीनू निर्धारित है।

2. (i) बैठक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण व्यय के लिये प्रति जिला प्रति वर्ष अधिकतम व्यय 10000 रू० निर्धारित है।

   (ii) प्रत्येक जिला के लिए यात्रा मद में प्रति माह अधिकतम व्यय 6000 रू० निर्धारित है।

   (iii) कार्यालय किराया मद में प्रतिमाह प्रति जिला अधिकतम व्यय 6000 रू० निर्धारित है।

   (iv) ऑफिस कन्टिजेन्सी (स्टेशनरी, आकस्मिकता सहित) फोन/फैक्स/डाक टिकट/कैमरा/ फर्निचर/कार्यालय उपस्कर आदि पर प्रति जिला प्रति वर्ष अधिकतम व्यय 100000 रू० निर्धारित है।

   (v) वाहन किराया मद में प्रति जिला प्रति माह अधिकतम व्यय 25000 रू० निर्धारित है।

   (vi) जेनरेटर के ईंधन मद में प्रति माह प्रति जिला अधिकतम व्यय 5000 रू० निर्धारित है।

   (vii) प्रखंड साधन सेवी को विद्यालयों से एकत्रित आँकड़े मासिक MIS में प्रविष्ट करने के लिए प्रति माह प्रति विद्यालय 16 रू० की दर से भुगतान निर्धारित है। किन्तु यह कार्य प्रत्येक माह के 15 तारिख तक सम्पन्न नहीं किए जाने पर प्रत्येक साधन सेवी से 32 रू० प्रति माह प्रति विद्यालय की दर से राशि की कटौती किया जाना है।

   (viii) कंडिका–02 की उप कंडिका (i) (ii) (iii) (v) (vi) एवं (vii) में अंकित मद में अवशेष राशि को उप कंडिका–(iv) में अंकित मद यथा ऑफिस कन्टिजेन्सी आदि मद में आवश्यकतानुसार व्यय अनुमान्य है।

3. (i) प्रत्येक जिला समन्वयक को 11000 रू० प्रति माह की दर से, जिला साधन सेवी एवं प्रखंड साधन सेवी को 7,500 रू० प्रति माह की दर से भुगतान निर्धारित है।

   (ii) लेखापाल में परिणत लेखापाल–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को 2500 रू० प्रति माह की दर से दो माह का बकाया तथा लेखापाल को 10000 रू० प्रति माह की दर से भुगतान निर्धारित है।

(iii) कार्यपालक सहायक को 7000/–रू० प्रतिमाह की दर से भुगतान हेतु निर्धारित है।

(iv) प्रखंड साधन सेवी को 1000/–रू० प्रतिमाह की दर से आकस्मिक व्यय हेतु निर्धारित है।

4. इस पत्र के द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश की संलग्न विवरणी के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के विभिन्न मदों में वित्तीय वर्ष 2013–14 के दो माह हेतु केन्द्रांश मद में ₹ 13948.63/–लाख (एक अरब उनचालीस करोड़ अड़तालीस लाख तीरसठ हजार रू०) मात्र राज्यांश मद में ₹ 3641.97/–लाख (छतीस करोड़ एकतालीस लाख सन्तानबे हजार रू०) मात्र उपावंटित की जाती है।

5. उक्त कंडिका–03 के अनुसार उपावंटित राशि आवश्यकतानुसार एक मद से दूसरे मद में सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की स्वीकृति के उपरान्त व्यय की जा सकती है। कृपया उक्त राशि के व्यय के उपरान्त सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति को उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. पिछले छः माह दिसम्बर 2012 से मई 2013 तक के औसत लाभान्वित बच्चों की कुल संख्या वर्ग I-V में 9388929 एवं वर्ग VI-VIII में 3420493 के आधार पर गणना कर राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

विश्वासभाजन

29.6.

(आर० लक्ष्मणन)

निदेशक,

मध्याह्न भोजन योजना,

बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में दो माह के लिए मध्याह्न भोजन योजना हेतु विभिन्न मदों में उपावंटित की जाने वाली केन्द्रांश की राशि।

(राशि लाख में)

क्र.सं.	जिला	परिवर्तन मूल्य मद में एक माह हेतु उपावंटित राशि		कुल (Col. 3+4) का जोड़	रसोईया–सह– सहायक के मानदेय मद में	खाद्यान्न के मूल्य मद में	परिवहन – सह–हथालन मद में	प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद में तीन माह के लिये	कुल (Col. 5+6+7+8+9)
		I-V	VI-VIII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना	209.42	130.18	339.60	109.76	93.26	11.79	7.12	**561.52**
2	नालन्दा	133.27	75.78	209.05	71.87	59.37	7.51	6.19	**353.98**
3	भोजपुर	137.04	71.61	208.65	66.60	60.37	7.63	5.18	**348.44**
4	बक्सर	98.99	53.35	152.35	51.32	44.12	5.58	4.11	**257.48**
5	रोहतास	152.69	79.33	232.02	85.16	64.65	8.17	6.14	**396.14**
6	कैमूर	82.65	44.93	127.57	51.87	43.57	5.51	4.12	**232.64**
7	गया	205.22	83.65	288.87	114.63	130.78	16.53	7.49	**558.31**
8	जहानाबाद	64.05	33.21	97.26	33.72	28.47	3.60	3.53	**166.57**
9	अरवल	41.57	21.11	62.68	18.75	18.08	2.29	2.76	**104.56**
10	नवादा	139.20	55.60	194.80	53.76	56.70	7.17	5.05	**317.48**
11	औरंगाबाद	139.90	81.59	221.48	67.46	67.27	8.50	4.35	**369.06**
12	सारण	222.98	124.55	347.54	103.32	97.39	12.31	6.51	**567.08**
13	सिवान	163.44	90.68	254.12	74.15	76.47	9.67	5.93	**420.33**
14	गोपालगंज	142.44	75.67	218.11	57.30	60.27	7.62	5.10	**348.40**
15	मुजफ्फरपुर	241.27	120.70	361.97	101.93	108.30	13.69	5.93	**591.83**
16	सीतामढ़ी	166.05	77.98	244.02	70.85	82.83	10.47	5.59	**413.76**
17	शिवहर	30.47	17.92	48.38	18.78	14.25	1.80	2.72	**85.94**
18	वैशाली	148.88	178.40	327.28	83.45	81.11	10.25	5.60	**507.69**
19	पूर्वी चम्पारण	293.28	153.41	446.69	120.32	126.26	15.96	8.06	**717.28**
20	प० चम्पारण	276.32	108.86	385.18	94.88	85.81	10.85	6.08	**582.80**
21	दरभंगा	192.79	77.53	270.31	85.34	88.11	11.14	6.10	**460.99**
22	मधुबनी	253.69	135.44	389.13	109.38	117.10	14.80	6.90	**637.32**
23	समस्तीपुर	271.90	135.88	407.78	96.71	108.57	13.73	6.33	**633.11**
24	पूर्णियां	162.83	62.03	224.86	70.61	83.16	10.51	5.19	**394.33**
25	किशनगंज	102.58	38.34	140.92	34.59	45.13	5.70	3.68	**230.02**
26	अररिया	114.32	31.09	145.41	59.04	70.68	8.94	3.93	**287.99**
27	कटिहार	113.67	95.67	209.34	71.16	84.38	10.67	5.54	**381.10**
28	भागलपुर	178.63	122.08	300.71	62.27	70.76	8.95	5.27	**447.96**
29	बांका	116.67	88.02	204.68	51.53	45.82	5.79	4.57	**312.40**
30	मुंगेर	66.85	38.90	105.75	36.09	30.78	3.89	3.91	**180.42**
31	शेखपुरा	33.26	15.97	49.22	15.38	15.21	1.92	3.15	**84.89**
32	लखीसराय	55.04	29.51	84.55	25.58	24.35	3.08	3.00	**140.55**
33	जमुई	126.01	51.93	177.94	42.83	46.51	5.88	4.14	**277.30**
34	खगड़िया	96.93	42.11	139.03	40.31	38.05	4.81	3.36	**225.56**
35	बेगूसराय	199.65	109.14	308.80	61.40	74.75	9.45	5.80	**460.18**
36	सहरसा	88.72	47.97	136.69	55.55	55.20	6.98	4.21	**258.63**
37	सुपौल	138.81	60.39	199.20	58.43	57.31	7.25	4.33	**326.51**
38	मधेपुरा	131.58	48.83	180.42	57.56	58.18	7.36	4.59	**308.10**
	कुल	**5533.06**	**2909.32**	**8442.38**	**2483.52**	**2513.42**	**317.75**	**191.56**	**13948.63**

नोट – यदि किसी जिला को राशि की आवश्यकता महसूस होती है तो विस्तृत विवरणी के साथ राज्य मुख्यालय स्तर से राशि की माँग की जा सकती है।

परिवर्तन मद में केवल एक माह (जून) की राशि निर्गत की जा रही है। शेष मदो में दो माह के लिये राशि निर्गत की जा रही है।

29.6.

निदेशक

मध्याह्न भोजन योजना

बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2013–14 में दो माह के लिए मध्याह्न भोजन योजना हेतु विभिन्न मदों में उपावंटित की जाने वाली राज्यांश की राशि।

(राशि लाख में)

क्र.सं.	जिला	परिवर्तन मूल्य मद में एक माह हेतु उपावंटित राशि		कुल (Col. 3+4) का जोड़	रसोईया–सह–सहायक के मानदेय मद में इस पत्र के द्वारा आवंटित राज्यांश की राशि।	इस पत्र के द्वारा राज्यांश मद में कुल आवंटित राशि। (Col. 5+6)
		I-V	VI-VIII			
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना	69.81	43.39	113.20	36.59	**149.78**
2	नालन्दा	44.42	25.26	69.68	23.96	**93.64**
3	भोजपुर	45.68	23.87	69.55	22.20	**91.75**
4	बक्सर	33.00	17.78	50.78	17.11	**67.89**
5	रोहतास	50.90	26.44	77.34	28.39	**105.73**
6	कैमूर	27.55	14.98	42.52	17.29	**59.81**
7	गया	68.41	27.88	96.29	38.21	**134.50**
8	जहानाबाद	21.35	11.07	32.42	11.24	**43.66**
9	अरवल	13.86	7.04	20.89	6.25	**27.14**
10	नवादा	46.40	18.53	64.93	17.92	**82.85**
11	औरंगाबाद	46.63	27.20	73.83	22.49	**96.31**
12	सारण	74.33	41.52	115.85	34.44	**150.29**
13	सिवान	54.48	30.23	84.71	24.72	**109.42**
14	गोपालगंज	47.48	25.22	72.70	19.10	**91.80**
15	मुजफ्फरपुर	80.42	40.23	120.66	33.98	**154.63**
16	सीतामढ़ी	55.35	25.99	81.34	23.62	**104.96**
17	शिवहर	10.16	5.97	16.13	6.26	**22.39**
18	वैशाली	49.63	59.47	109.09	27.82	**136.91**
19	पूर्वी चम्पारण	97.76	51.14	148.90	40.11	**189.00**
20	प० चम्पारण	92.11	36.29	128.39	31.63	**160.02**
21	दरभंगा	64.26	25.84	90.10	28.45	**118.55**
22	मधुबनी	84.56	45.15	129.71	36.46	**166.17**
23	समस्तीपुर	90.63	45.29	135.93	32.24	**168.16**
24	पूर्णियां	54.28	20.68	74.95	23.54	**98.49**
25	किशनगंज	34.19	12.78	46.97	11.53	**58.50**
26	अररिया	38.11	10.36	48.47	19.68	**68.15**
27	कटिहार	37.89	31.89	69.78	23.72	**93.50**
28	भागलपुर	59.54	40.69	100.24	20.76	**120.99**
29	बांका	38.89	29.34	68.23	17.18	**85.40**
30	मुंगेर	22.28	12.97	35.25	12.03	**47.28**
31	शेखपुरा	11.09	5.32	16.41	5.13	**21.53**
32	लखीसराय	18.35	9.84	28.18	8.53	**36.71**
33	जमुई	42.00	17.31	59.31	14.28	**73.59**
34	खगड़िया	32.31	14.04	46.34	13.44	**59.78**
35	बेगूसराय	66.55	36.38	102.93	20.47	**123.40**
36	सहरसा	29.57	15.99	45.56	18.52	**64.08**
37	सुपौल	46.27	20.13	66.40	19.48	**85.87**
38	मधेपुरा	43.86	16.28	60.14	19.19	**79.32**
	कुल	**1844.35**	**969.77**	**2814.13**	**827.84**	**3641.97**

नोट – यदि किसी जिला को राशि की आवश्यकता महसूस होती है तो विस्तृत विवरणी के साथ राज्य मुख्यालय स्तर से राशि की मॉंग की जा सकती है।

परिवर्तन मद में केवल एक माह (जून) की राशि निर्गत की जा रही है। शेष मदो में दो माह के लिये राशि निर्गत की जा रही है।

29.6.

निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार, पटना